रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1994/पौष 27, 1915
No. 21] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 1994/PAUSA 27, 1915

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1994

का.आ. 30(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उप पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 45(अ), दिनांक 11 जनवरी, 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	सूत्र योग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	टेट्रासाइक्लिन हाइड्रो-क्लोराइड फिल्म कोटिड टिकिया	500 मिग्रा./ टिकिया	25 × 4 का बिलस्टर/ बोतल पत्ता	172.74

[सं. 9(35)/93-पी.आई.(2)]

जे.एल. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, स. 25, भाग 2, खण्ड 3(ii), तारीख 11 जनवरी, 1988 में उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 45(अ), तारीख 11 जनवरी, 1988 के रूप में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था :—

1. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 767(अ) तारीख 18-08-1991
2. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 710(अ) तारीख 17-10-1991
3. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 159(अ) तारीख 26-02-1992
4. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 388(अ) तारीख 02-06-1992
5. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 441(अ) तारीख 17-06-1992

6. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 681(अ) तारीख 14-09-1992

7. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 174(अ) तारीख 12-03-1993

8. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 760(अ) तारीख 07-10-1993

9. सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 1031(अ) तारीख 24-12-1993

सभी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, 17th the January, 1994

S.O. 30(E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby make the following amendments in the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals No. S.O. 45(E) dated 11-01-1988:

In the Table below the said order, for serial numbers 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries respectively be substituted, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	Tetracycline Hydrochloride Film Coated Tablet	500 mg/Tablet	25×4's Blister Strip/Bottle	172.74"

[No. 9(35)/93—PI(II)]

J.L. SHARMA, Under Secy.

NOTE:–The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary No. 25, Part II, Section 3(ii) dated 11-01-1988 vide Government notification Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 45(E) dated 11-01-1988 and was subsequently amended vide:–

(1) Government Notification No. S.O. 767 (E) dated 18-08-1991

(2) Government Notification No. S.O. 710 (E) dated 17-10-1991

(3) Government Notification No. S.O. 159 (E) dated 26-02-1992

(4) Government Notification No. S.O. 388 (E) dated 02-06-1992

(5) Government Notification No. S.O. 441 (E) dated 17-06-1992

(6) Government Notification No. S.O. 684 (E) dated 14-09-1992

(7) Government Notification No. S.O. 174 (E) dated 12-03-1993

(8) Government Notification No. S.O. 760 (E) dated 07-10-1993

(9) Government Notification No. S.O. 1031 (E) dated 14-09-1993

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994